आर्थिक समीक्षा 2022-23

अध्याय:-1. वृहद् आर्थिक प्रवृतियों का परिदृश्य

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

- राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर

- प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता हैं। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है क्योंकि इसमें निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित हैं- (i) वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन तथा (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में **₹14.14 लाख करोड़** सम्भावित है, जोकि वर्ष 2021-22 में ₹12.18 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2021-22 के 19.50 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में **16.04 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में ₹273.08 लाख करोड़ सम्भावित है जो **15.4 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.18 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद
(प्रचलित मूल्यों पर)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (₹ करोड़)
जी.एस.डी.पी.-राजस्थान	911519	998679	1019442	1218193	1413620
वृद्धि दर (%)	9.49	9.56	2.08	19.50	**16.04**
जी.डी.पी.-अखिल भारत	18899668	20074856	19800914	23664637	27307751
वृद्धि दर (%)	10.6	6.2	-1.4	19.5	**15.4**

राजस्थान के लिए वर्ष 2020-21- संशोधित अनुमान- II, वर्ष 2021-22-संशोधित अनुमान-I और वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2021-22 प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2022-23 प्रथम अग्रिम अनुमान

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

- प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2021-22 में ₹11.34 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹13.11 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में **18.57 प्रतिशत** वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में **15.57 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।
- वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में क्षेत्रवार प्रतिशत विचलन कृषि क्षेत्र में 13.84 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में **15.02 प्रतिशत** तथा सेवा क्षेत्र में **17.11 प्रतिशत** है।

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

वर्ष	2021-22	2022-23 (अ) (₹ करोड़)	प्रतिशत में
कृषि क्षेत्र [फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य]	333313	379439	28.95%
उद्योग क्षेत्र [खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र]	311283	358034	27.31%
सेवा क्षेत्र [व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे]	489518	573277	43.74%

वर्ष 2020-21- संशोधित अनुमान- II, वर्ष 2021-22-संशोधित अनुमान- I और वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन/ मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जी.एस.डीपी की गणना की जाती है।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में वास्तविक/ स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद **₹7.99 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में ₹7.39 लाख करोड़ था, जो कि वर्ष 2022-23 में **8.19 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।

- अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में वास्तविक/स्थिर (2011-12) कीमतों पर ₹157.60 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी वर्ष में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.07 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद
(स्थिर 2011-12 मूल्यों पर)

वर्ष	2020-21	2021-22 (₹ करोड़)	2022-23 (अ)
जी.एस.डी.पी.-राजस्थान	663515	738922	799449
वृद्धि दर (%)	-1.96	11.36	8.19
जी.डी.पी.-अखिल भारत	13558473	14735515	15760363
वृद्धि दर (%)	-6.6	8.7	7.0

राजस्थान के लिए वर्ष 2020-21- संशोधित अनुमान-II, वर्ष 2021-22-संशोधित अनुमान-I और वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2021-22 प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2022-23 प्रथम अग्रिम अनुमान

सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों पर

- वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में ₹6.80 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में **₹7.33 लाख करोड़** रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2022-23 में 7.88 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2022-23 में **28.50 प्रतिशत** रहने की संभावना है। वर्ष 2022-23 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन **₹2,08,989 करोड़** अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 5.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011-12 से योगदान 32.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में **27.76 प्रतिशत** रह गया है। वष 2022-23 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन **₹2,03,576 करोड़** अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 6.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011-12 से योगदान 38.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में **43.74 प्रतिशत** हो गया है। वर्ष 2022-23 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन **₹3,20,708 करोड़** अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से **10.74 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.)

- सकल घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। स्थाई पूंजी उपभोग, पूंजीगत स्कन्ध के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य को मापता है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर

- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में **₹12.60 लाख करोड़** रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में **₹10.85 लाख करोड़** था। यह वर्ष 2022-23 में 16.10 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर

- वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2022-23 में **₹6.95 लाख करोड़** रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में **₹6.43 लाख** करोड़ था। यह वर्ष 2022-23 में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अ) (₹ करोड़)
प्रचलित कीमतों पर	819185	898116	907861	1084845	1259527
वृद्धि दर	9.45	9.64	1.09	19.49	16.10
स्थिर (2011.12) कीमतों पर	568452	596689	576789	642668	694771
वृद्धि दर (%)	1.94	4.97	-3.34	11.42	8.11

वर्ष 2020-21- संशोधित अनुमान- II, वर्ष 2021-22-संशोधित अनुमान-I, और वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमान

प्रति व्यक्ति आय

- प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

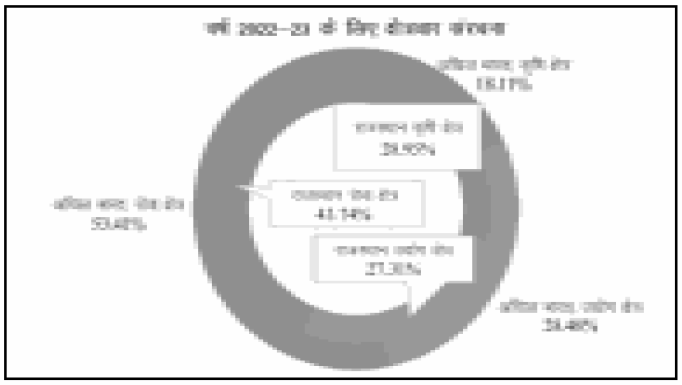

प्रति व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर

- प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में **₹1,35,962** की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में **₹1,56,149** अनुमानित है, जो गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में **14.85 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाती है।

प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) कीमतों पर

- स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में **₹80,545** की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में **₹86,134** अनुमानित है, जो गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।
- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹3,46,844 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹12,18,193 करोड़) का **28.47 प्रतिशत** है। वर्ष 2021-22 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण में गत वर्ष 2020-21 की तुलना में **26.63 प्रतिशत** की वृद्धि हुई। **सकल स्थाई पूंजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र** का योगदान वर्ष 2021-22 में क्रमशः 76.19 एवं **23.81 प्रतिशत** रहा है।

क्षेत्रवार सकल स्थाई पूँजी निर्माण (प्रावधानिक)

क्र. सं.	क्षेत्र/वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22 (₹ करोड़)
1.	कृषि	9095	9892	11816
2.	वानिकी	98	131	363
3.	मत्स्य	2	1	4
4.	खनन	2613	2630	2629
5.	पंजीकृत विनिर्माण	15701	15601	19419
6.	निर्माण	105530	104585	137180
7.	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	6159	17901	20930
8.	रेलवे	1222	296	1051
9.	संचार	15136	15002	15815
10.	अपंजीकृत विनिर्माण, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, अन्य यातायात एवं अन्य सेवा	10903	10523	13983
11.	वित्तीय सेवाएं	1731	1322	1489
12.	आवासीय भवन	66405	62869	80868
13.	लोक प्रशासन	33518	33157	41296
	योग	**278112**	**273910**	**346844**

योग का मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं हैं।

राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

- आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का सन् 1957 से राज्य के चयनित केन्द्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला के द्वारा तैयार कर जारी किए जा रहे हैं।

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.)

(आधार वर्ष 1999-2000=100)

- थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार-चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेनदेनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है।
- राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें **154 वस्तुओं** को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, **69 विनिर्मित उत्पाद समूह** में तथा 10 **ईंधन, शक्ति, प्रकाश** एवं उपस्नेहक समूह में सम्मिलित हैं। प्राथमिक वस्तु समूह को **33.894, विनिर्मित** उत्पाद समूह को 49.853 तथा ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग को **16.253 भारांकन** दिया गया है।
- राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 में 363.23 से बढ़कर वर्ष 2022 (नवम्बर माह तक) में **385.45** रहा है, जो कि 6.12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान इसी अवधि में वार्षिक आधार पर प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक 378.22 से बढकर **415.73, ईंधन**, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह का सूचकांक 569.93 से बढकर **576.77** एवं विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक 285.65 से बढ़कर **302.49** रहा है।
- गत वर्ष की तुलना में माह नवम्बर, 2022 तक प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में क्रमशः 9.92,1.20 एवं 5.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 में 135.0 से बढ़कर वर्ष 2022 (नवम्बर माह तक) में 151.3 हो गया, जिसमें 12.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक

	वृहद्-समूह	वार्षिक औसत सूचकांक				
		2019	2020*	2021	2022**	
1.	**प्राथमिक वस्तुएं**	317.48	331.49	378.22	415.73	
(अ)	कृषि वस्तुएं	314.89	328.58	377.10	414.82	
(ब)	खनिज	337.05	353.47	386.65	422.64	
2.	**ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक**	461.22	509.26	569.93	576.77	
3.	विनिर्मित उत्पाद	256.74	272.27	285.65	302.49	
	समस्त वस्तुऐं	**310.56**	**330.86**	**363.23**	**385.45**	

*(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना-19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)
**(जनवरी से नवम्बर, 2022) औसत सूचकांक

राज्य के समूहवार थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन

(आधार वर्ष 1999-2000=100)

	वृहद्-समूह	वार्षिक औसत प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष आधारित)			
		2019	2020*	2021	2022*
1.	प्राथमिक वस्तुएं	6.15	4.41	14.10	9.92
(अ)	कृषि वस्तुएँ	6.43	4.35	14.77	10.00
(ब)	खनिज	4.26	4.87	9.39	9.31
2.	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	-0.55	10.42	11.91	1.20
3.	विनिर्मित उत्पाद	3.62	6.05	4.91	5.90
	समस्त वस्तुऐं	**3.43**	**6.54**	**9.78**	**6.12**

*(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना-19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)
**(जनवरी से नवम्बर, 2022) औसत सूचकांक

औद्योगिक श्रमिकों का वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष	अलवर		भीलवाड़ा		जयपुर		अखिल भारत	
	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2021	120.9	2.37	118.5	1.98	115.8	1.31	122.0	2.43
2022*	**126.2**	**4.38**	**126.7**	**6.92**	**122.8**	**6.04**	**128.9**	**5.66**

* औसत (माह नवम्बर, 2022 तक)
\# सितम्बर से दिसम्बर, 2020

कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(सी.पी.आई.-ए.एल.) (आधार वर्ष 1986-87=100)

- श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 पर तैयार किए जाते हैं। राजस्थान राज्य एवं अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2018-19 से कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तालिका 1.11 में दर्शाये गए हैं।

कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत		
	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक	
2020-21	1038	1087	994	1042	
2021-22	1108	1151	1026	1092	
2022-23*	**1219**	**137**	**1079**	**1149**	

* माहवार औसत (जुलाई से नवम्बर, 2022)

सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त)
(आधार वर्ष 2012=100)

- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए अखिल भारत तथा राज्य क्षेत्र के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवीन आधार वर्ष 2012 के आधार पर माह जनवरी, 2011 से जारी किए जा रहे हैं।

ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 2012=100)

	राजस्थान			अखिल भारत		
वर्ष	**ग्रामीण**	**शहरी**	**संयुक्त**	**ग्रामीण**	**शहरी**	**संयुक्त**
2020$	153.11	152.38	152.84	154.54	152.27	153.47
2021	157.85	157.73	157.81	161.89	160.73	161.35
2022*	**168.71**	**167.69**	**168.35**	**172.76**	**170.75**	**171.83**

$ राजस्थान का माह अप्रेल एवं मई, 2020 का सूचकांक कोविड महामारी के कारण जारी नहीं किया गया।
* नवम्बर, 2022 तक का औसत

- राजस्थान में कुल बैंक शाखा:- 7987
  (i) निजी क्षेत्र के बैंक - 1688 (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - 4195 (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 1590
  (iv) लघु वित्त बैंक - 469 (v) विदेशी बैंक - 9 (vi) भुगतान बैंक - 36
- **डिजिटल भुगतान**- नीति आयोग, भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान के 5 प्रकार सुझाए हैं जो कि यूएसएसडी (*99#बैकिंग), आधार सक्षम भुगतान, वॉलेट, रूपे/डेबिट/क्रेडिट/प्री पेड कार्ड और यूनिफाईड़ पेमेन्ट इंटरफेस (यूपीआई) हैं।
- प्रदेश के चार जिलों अजमेर, धौलपुर को वर्ष 2021-22 तथा जैसलमेर, सिरोही को वर्ष 2022-23 में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है।

अध्याय:-2. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

	2021-22	2022-23	वृद्धि दर	वार्षिक वृद्धि [2018-19 से 2022-23 तक]
प्रचलित कीमत	3.33 लाख करोड़	3.79 लाख करोड़	13.84%	14.33%
स्थिर कीमत	1.98 लाख करोड़	2.09 लाख करोड़	5.22%	7.48%

- राजस्थान के जी.एस.वी.ए. में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्रों की संरचना राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान **28.56** प्रतिशत था, जो कि बढकर वर्ष 2022-23 में **28.95 प्रतिशत** हो गया। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी एवं लॉगिंग है।

			वृद्धि
◆ पशुधन क्षेत्र का अंश	-	46.41%	3.91%
◆ फसल क्षेत्र का अंश	-	46.00%	6.39%
◆ वानिकी एवं लॉगिग क्षेत्र का अंश	-	7.20%	5.18%
◆ मत्स्य क्षेत्र का अंश	-	0.39%	17.65%
कुल		=	**5.22%**

- वर्ष 2022-23 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन ₹ 1.83 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य के फसल क्षेत्र की आय में खरीफ में बाजरा, मूंगफली और मूंग एवं रबी में गेहूं, सरसों और चना फसलों का प्रमुख योगदान है।
- वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 1.76 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अण्डे और मांस का प्रमुख योगदान है।
  - ◆ दूध - 82.62%
  - ◆ अण्डे - 40.68%
  - ◆ पोल्ट्री सहित माँस - 5.37%
  - ◆ अन्य - 11.33%

भू-उपयोग

- राज्य का कुल प्रतितवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2020-21 में **342.89 लाख हैक्टेयर** है।

◆ वानिकी	- **8.08%**
◆ कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि	- **5.86%**
◆ ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	- **6.91%**
◆ स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि	- **4.86%**
◆ वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	- **0.09%**
◆ बंजर भूमि	- **10.87%**
◆ अन्य चालू पड़त भूमि	- **6.10%**
◆ चालू पड़त	- **4.89%**
◆ शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	- **52.34%**

प्रचलित जोत धारक

- राज्य के कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार यह 10वीं कृषि गणना है।

जोत का प्रारूप	क्षेत्रफल	प्रतिशत
सीमान्त	1 हैक्टेयर से कम	40.12%
लघु	1-2 हैक्टेयर	21.90%
अर्द्ध माध्यम	2-4 हैक्टेयर	18.50%
मध्यम	4-10 हैक्टेयर	14.79%
बड़े आकार की जोत	10 हैक्टेयर से अधिक	4.65%

	2010-11	2015-16
◆ कुल जोत का क्षेत्रफल	211.36 लाख हेक्टेयर	208.73 लाख हे० = -2.24% कमी
◆ कुल जोतो की संख्या	68.88 लाख	= 76.55 लाख हे० =+ 11.14%, वृद्धि
◆ औसत जोत का आकार	3.07 हे०	= 2.73 हे०

- **महिला जोत धारक**

	2010-11	2015-16	
कुल जोत का क्षेत्रफल	13.40 लाख हे०	16.53 लाख हे०	24.44% वृद्धि
कुल जोतों की संख्या	5.46 लाख	7.75 लाख	41.91% वृद्धि

महिला औसत जोत का क्षेत्रफल = 2.13 हैक्टेयर

मानसून

- राज्य में मानसून के पहुँचने की सामान्य तिथि 15 जून है, जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून 5 दिन पूर्व 10 जून से प्रारम्भ होकर जुलाई, 2022 के प्रथम सप्ताह तक सम्पूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ।
- राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर, 2022 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा **594.20 मिमी.** दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 430.80 मिमी. की तुलना में 37.93 प्रतिशत अधिक रही है।
- राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र 2022 में असामान्य, सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है।

राज्य में खरीफ और रबी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

उत्पादन [लाख मैट्रिक टन में]

फसल	2020-21	2021-22	2022-23
(अ) अनाज	233.58	**191.00**	**206.57**
खरीफ	97.62	72.74	**77.84**
रबी	135.96	118.26	**128.73**
(ब) दलहन	39.66	40.52	**47.42**
खरीफ	19.29	13.08	**20.14**
रबी	20.37	27.44	**27.28**
(अ+ब) खाद्यान्न	273.24	231.52	**253.99**
खरीफ	116.91	85.82	**97.98**
रबी	156.33	145.70	**156.01**
(स) तिलहन	80.54	102.68	**99.78**
खरीफ	34.41	28.92	**33.64**
रबी	46.13	73.76	**66.14**
(द) गन्ना	3.94	3.21	**2.18**
(य) कपास (रूई)*	32.07	24.82	**25.53**

* उत्पादन लाख गांठों में (प्रत्येक गांठ में 170 किलो)।

कृषि उत्पादन

- प्रारम्भिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2022-23 में **खाद्यान्न का कुल उत्पादन 253.99 लाख मैट्रिक टन** होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 231.52 लाख मैट्रिक टन की तुलना में **9.71 प्रतिशत** अधिक है।
- वर्ष 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 97.98 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 85.82 लाख मैट्रिक टन की तुलना में **14.17 प्रतिशत** अधिक है। वर्ष 2022-23 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 156.01 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष 2021-22 में 145.70 लाख मैट्रिक टन की तुलना में **7.08 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।

विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान

- वर्ष 2020-21 में राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन एवं ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान, कुल दलहन एवं मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान एवं चना, ज्वार व सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है।

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान (प्रतिशत में)
1.	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	41.71
2.	सरसों	राजस्थान	मध्य प्रदेश	हरियाणा	44.57
3.	पोषक अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	महाराष्ट्र	16.30
4.	कुल तिलहन	राजस्थान	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	22.00
5.	कुल दलहन	मध्य प्रदेश	राजस्थान	महाराष्ट्र	16.75
6.	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	तमिलनाडु	18.91
7.	चना	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	19.37
8.	ज्वार	महाराष्ट्र	कर्नाटक	राजस्थान	12.35
9.	सोयाबीन	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	राजस्थान	8.49
10.	ग्वार*	राजस्थान	-	-	84.60

स्त्रोत:- भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी एक नजर में वर्ष 2021 के आधार पर। * ग्वार फसल में वर्ष 2019-20 की स्थिति।

कृषि जलवायुवीय क्षेत्रवार मुख्य फसलें

- राज्य का उत्तरी-पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग **61** प्रतिशत मरूस्थलीय या अर्द्ध मरूस्थलीय है, जो वर्षा पर निर्भर है। राज्य का दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग **39** प्रतिशत है, उपजाऊ है। राज्य को जलवायु के आधार पर **10 कृषि जलवायु** क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

राज्य के कृषि जलवायुवीय क्षेत्र

क्र. सं.	जलवायु क्षेत्र	सम्मिलित जिले	मुख्य फसलें	
			खरीफ	रबी
1.	शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A)	बाड़मेर एवं जोधपुर	बाजरा, मोठ एवं तिल	गेहूं, सरसों एवं जीरा
2.	उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (I-B)	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	कपास एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
3.	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर एवं चुरू	बाजरा, मोठ एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
4.	अन्त: स्थलीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-A)	नागौर, सीकर, झुन्झुनू एवं चुरू जिले का भाग	बाजरा, ग्वार एवं दलहन	सरसों एवं चना
5.	लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-B)	जालौर, पाली, सिरोही एवं जोधपुर जिले का भाग	बाजरा, ग्वार एवं तिल	गेहूं एवं सरसों
6.	अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा एवं टोंक	बाजरा, ग्वार एवं ज्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
7.	बाढ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B)	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर	बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली	गेहूं, जौ, सरसों एवं चना
8.	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A)	भीलवाड़ा, राजसमन्द, चित्तौड़गढ, उदयपुर एवं सिरोही जिलें का भाग	मक्का, दलहन एवं ज्वार	गेहूं एवं चना
9.	आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B)	डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलें का भाग	मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द	गेहूं एवं चना
10.	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	कोटा, झालावाड़, बून्दी, बारां एवं सवाई माधोपुर जिले का भाग	ज्वार एवं सोयाबीन	गेहूं एवं सरसा

- **भू-जल**
  - भू-जल आंकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राज्य का 78% क्षेत्र अतिदोहित श्रेणी के अंतर्गत आता है एवं राज्य के कुल भू-जल दोहन की दर **150%** है।
  - वर्ष 2023-23 में किसानों के लिए 126 नलकूप, 192 हैण्डपम्प, बोरवेल एवं 21 पिजोमीटर को स्थापित किया गया है।

पशु पालन

- पशुगणना 2019 के अनुसार - 568.01 लाख पशुधन [देश का कुल 10.60%]
- देश के दुग्ध उत्पादन 14.63%
- ऊन उत्पादन - 42%
- 146.23 लाख कुक्कुट

देश के पशुधन में राजस्थान का हिस्सा

- 7% गौवंश
- 12% भैस
- 14% बकरिया
- 17% भेड़
- 11% भेड़ और
- 84% ऊँट

उत्पादन

- दुध- 33265 हजार टन
- अण्डे- 2688 [10 लाख]
- माँस- 221 हजार टन
- ऊन- 156 लाख किग्रा.

- वर्ष 2022-23 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम
  - जयपुर में एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला 3 स्वीकृत की गई है।
  - नाथद्वारा-राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है।
  - पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में पशुओं के उपचार हेतु 143.15 करोड़ रु. के व्यय से 138 प्रकार की औषधियाँ टीकें

डेयरी विकास

- राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवरम्बर, 2022 तक
- (i) 17,463 दुग्ध सहकारी समिति
  (ii) 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ
  (iii) राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जयपुर

- **राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना [6वाँ चरण]**
  - 1 जनवरी, 2022 से लागू
  - दुग्ध उत्पादक की दुघ्रटना, मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख का बीमा तथा आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.50 लाख रु. का बीमा राशि देय है।
  - **सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना**- जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है।
  - इसका 17वाँ चरण 15 अक्टूबर, 2022 को प्रारंभ किया गया।

मत्स्य

- जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है।
- राजस्थान में 80 हजार मैट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है। लेकिन वर्ष 2022-23 में 34336 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ।
- आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु '**आजीविका मॉडल**' जो शून्य राजस्व मॉडल है राज्य के 3 जलाशयों यथा जयसमंद [उदयपुर], माही बजाज सागर [बाँसवाड़ा] एवं कनाडा बैंक वाटर [डूँगरपुर] में प्रारम्भ किया गया।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रामसागर [धौलपुर], बीसलपुर [टोंक], राणा प्रताप सागर [रावतभाटा], जबाई बाँध [पाली] एवं राजसमंद [उदयपुर] बाँधों से मत्स्य लॉडिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

वानिकी

- राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किमी. है, जो की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है।
- राज्य में वन आच्छाछित क्षेत्र 4.87% है जो कि वन क्षेत्र तथा उसके वाटर अवस्थित हैं।
- भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार '**द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2019-21** में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्ज की गई हैं।
- औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य में 17 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए है।
- राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 18 संरक्षित क्षेत्र हैं।
- 4 बायोलोजिकल पार्क, जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में विकसित किए गए।

अध्याय:-4. औद्योगिक विकास

- उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर **6.32 प्रतिशत** की वृद्धि देखी गयी है।
- उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। उद्योग क्षेत्र का स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2011-12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹2.04 लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में वार्षिक **3.71 प्रतिशत** (सी.ए.जी.आर.) की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर जी.एस.वी.ए. वर्ष 2011-12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹3.58 लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में वार्षिक **9.18 प्रतिशत** (सी.ए.जी.आर.) की वृद्धि दर्शाता है।
- औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 [अग्रिम अनुमान] के योगदान-

उपक्षेत्र	योगदान	वृद्धि दर
खनन एवं उत्खनन	- 12.60%	4.99%
विर्निमाण	- 41.26%	9.10%
विद्युत गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	- 13.38%	9.16%
निर्माण	- 32.76%	3.71%

राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2022

- सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से **''राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2022''** को दिनांक **17 सितम्बर, 2022** को जारी की गई है।
- **उद्देश्य:**- सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, बुनियादी ढाँचे का विकास करना, एम.एस.एम.ई. क्लस्टरों का विकास करना।
- दिसम्बर, 2022 तक कुल 3 लाख 11 हजार नई उद्योग इकाईयों में पंजीकरण कराया। **[उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर]**

राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022

- राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की घोषणा की गई।
- हस्तशिल्पियों व बुनकरों को उन्नत तकनीकों व वित्तीय सहायता, विपणन सहायता, विलुप्त होती पारंपरिक कलाओं को पुर्नजीविक करना।

एम-सेण्ड नीति- 2022

- **जारी:**- 25 जनवरी, 2021
- इस नीति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य में नदी नालों से खनिज बजरी के खनन पर रोक लगाने के पश्चात् खनिज बजरी की माँग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के विकल्प के रूप में जारी किया गया है।

प्रावधान:-● एम-सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

- इस नीति के अंतर्गत राज्य के राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एम-सैंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित हैं।
- खनन क्षेत्र में उपलब्ध ओवरबर्डन से निर्मित एम-सैंड पर देय डीएमएफटी की राशि में 100% छूट का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में खनिज संसाधन

- राजस्थान में उत्पादित कुल **81** के खनिजों के भण्डार है जिसमें से 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है।
- धात्विक खनिज कुल **17 खनिज** है जिसमें राजस्थान में एकमात्र उत्पादक **सीसा-जस्ता** तथा अग्रणी उत्पादक चाँदी में है।
- अधात्विक खनिज कुल 39 खनिज है, जिसमें राजस्थान में एकमात्र उत्पादक **सेलेनाइट**, **वोलस्टोनाइट** का होता है। साथ ही सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइम स्टोन में राजस्थान अग्रणी उत्पादक है।
- ईंधन खनिज में कच्चा तेल [दूसरा **सबसे बड़ा उत्पादक** राजस्थान]
- **गौण खनिज** में मार्बल, ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है।
- **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022:**- लागू दिनांक **7 अक्टूबर, 2022** को।
- **उद्देश्य:**- तीव्र स्थाई व संतुलित औद्योगिक विकास के लिए निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रमुख संस्था **निवेश संवर्धन** ब्यूरो है।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक दर से विकास।
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड (RIICO) द्वारा 2022-23 के दौरान 8 नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया।
- **मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना**
  - शुरू वर्ष 2022 में
  - **उद्देश्य**- 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
  - 15 लाख तक के वाणिज्य वाहन की खरीद पर 10% या 60000 रु. [जो भी कम हो] का अनुदान मिलता हैं।
- **भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी, उद्यम प्रोत्साहन योजना- 2022:**-
  - **उद्देश्य:**- राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा व व्यापार) के विकास में अनुसूचित जाति वं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - इसमें SC/ST उद्यमियों को **25 लाख रु.** के ऋण पर **9%, 25 लाख से 5 करोड़** तक के ऋण पर **7%** तथा **5 करोड़ रु.** से **10 करोड़ रु.** तक के ऋण पर **6% ब्याज** अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- **निर्यात:**- नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक **11वीं** हैं।
- राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएँ, कपड़ा, धातुएँ, हस्तशिल्प वस्तुएँ और रासायनिक एवं सम्बद्ध है, जिनका राज्य में होने वाले निर्यात में **60%** से अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात **71,999.72 करोड़ रु.** हुआ है।
- **शीर्ष 5 वस्तुएँ**-
  - इंजीनियरिंग - 16.62%
  - कपड़ा - 12.85%
  - धातुएँ - 11.44%
  - हस्तशिल्प - 10.88%
  - रसायन उत्पादन - 9.72%
- **श्रम एवं रोजगार**- राज्य सरकार द्वारा 28 जून, 2022 को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई, 2021 से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित कर **क्रमशः ₹259, ₹271, ₹283** व **₹333** प्रतिदिन कर दिया गया है।
- ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2021 में असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना।

राजस्थान में औद्योगिक पार्क

- स्टोन पार्क - बिशननौद [धौलपुर]
- होजरी पार्क - चौपंकी [भिवाड़ी]
- टेक्सटाइल पार्क - सिलोरा [किशनगढ़]
- मसाला पार्क - कोटा, जोधपुर
- सॉफ्टवेयर पार्क - कनकपुरा [जयपुर]
- हार्डवेयर पार्क - कूकस [जयपुर]
- सेन्ट गोबेन फ्लोट ग्लास संयंत्र - कहरानी [अलवर]

रीको द्वारा 8 नए औद्योगिक क्षेत्र

- तेजपुर [चित्तौड़गढ़]
- केरवा [जैसलमेर]
- खडियाल-बोरानाडा [जोधपुर]
- गोल [नागौर]
- भनियाना [जैसलमेर]
- रामआसपुर [बाँसवाड़ा]
- चटलिया [जोधपुर]
- हरसोर [नागौर]

रीको द्वारा विकसित पार्क

- **एग्रो फूड पार्क - 4**
  (i) बोरानाडा [जोधपुर] (ii) कोटा
  (iii) अलवर (iv) श्रीगंगानगर
- **कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र- तिंवरी [जोधपुर]**
- **जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल 11-12 नवम्बर, 2022 [जयपुर]**
- **इंडिया स्टोन मार्ट 2022 [10-13 नवम्बर, 2022] सीतापुरा (जयपुर)**
- **इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम**
  - **उद्देश्य:**- उद्यमियों से संवाद एवं निवेश को आकर्षित करना है।
  - **आयोजन:**- 7 अप्रैल, 2022 [अलवर]
    ➲ 17 सितम्बर, 2022 जयपुर]
- **इन्वेस्ट राजस्थान समिट**
  - **आयोजन:**- 7-8 अक्टूबर, 2022 [जयपुर]
  - **51 परियोजनाओं** का उद्घाटन किया गया।

अध्याय:-5. आधारभूत संरचना का विकास

- ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत तापीय संयंत्र, पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, अन्तर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएँ और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
- राज्य में 30 नवम्बर, 2022 तक अधिष्ठापित क्षमता **23,487.46 मेगावाट** हो गई है।
- मार्च 2019 तक ऊर्जा की उपलब्धता = 8,116.73 करोड़ यूनिट
- मार्च, 2022 तक ऊर्जा की उपलब्धता = 9,080.92 करोड़ यूनिट
- 2018-19 से 2021-22 तक वृद्धि-11.90%
- शुद्ध ऊर्जा उपभोग में वृद्धि- 15.53%
- सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता- 142 गीगावाट
- राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई है। [नवीनतम]
- सड़क अवसंरचना-सड़क तंत्र आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है।
- वर्ष 1949 में सड़कों की लम्बाई 13,553 किमी. थी, जो मार्च 2022 तक **2,78,813.23 किलोमीटर** हो गई है।
- 31 मार्च, 2022 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व **81.47 किलोमीटर** है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व **[165.25 किमी.]** की तुलना में बहुत कम हैं।
  - राष्ट्रीय उच्च मार्ग - 10618.09 किलोमीटर
  - राज्य उच्च मार्ग - 17237.59 किलोमीटर
  - मुख्य जिला सड़क - 13270.93 किलोमीटर
  - अन्य जिला सड़क - 51224.52 किलोमीटर
  - ग्रामीण सड़क - 186762.10 किलोमीटर

रेलवे

- मार्च, 2021 तक राज्य में 6019 किलोमीटर
- भारत के कुल रेलमार्ग [68103 किलोमीटर] का 8.83%

राजस्थान इलेक्ट्रीकल व्हीकल नीति, 2022

- **अधिसूचना**- 31 अगस्त, 2022
- 1 सितम्बर, 2022 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी

उद्देश्य

- व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना।
- सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम करना।
- राज्य के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान एवं विकास कौर कौशल विकास को बढ़ावा देना।
- रिप्स- 2019 के तहत उचित प्रोत्साहनदेकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना।
- **लक्ष्य:**- नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नये वाहनों में से 15% दोपहिया इलेक्ट्रीक वाहनों, 30% तिपहिया इलेक्ट्रीक वाहनों तथा 5% चौपहिया इलेक्ट्रीक वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है।

अध्याय:-6. सेवा क्षेत्र

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादि मूल्यों पर **43.74%** योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है।
- सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) वर्ष 2022-23 में **₹ 3,20,708 करोड़** अनुमानित है।
- सेवा क्षेत्र का स्थिर [2011-12] बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन (GSVA) वर्ष 2022-23 में **₹ 5,73,277 करोड़** अनुमानित है।
- वर्ष 2021-22 में संशोधन अनुमानित-
  - GSVA प्रचलित मूल्यों पर - ₹4,89,518 करोड़ [वृद्धि दर- 18.67%]
  - GSVA स्थिर [2011-12] मूल्यों पर - ₹2,89,602 करोड़ [वृद्धि दर- **13.13%**]
- सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उपक्षेत्रवार विवरण
  1. व्यापार, होटल एवं जलपान - 27.69%
  2. परिवहन भण्डार एवं संचार - 11.78%
  3. वित्तीय सेवाएँ - 9.27%
  4. स्थावर, सम्पदा, आवासीय गृह एवं पेशेवर - 4.62%
  5. लोक प्रशासन - 7.07%
  6. अन्य सेवाएँ - 19.57%
- वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र के GSVA में सर्वाधिक योगदान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का रहा, जबकि सबसे कम योगदान लोक प्रशासन का रहा।
- **पर्यटन:**- वर्ष 2022 [नवम्बर, 2022 तक] = 986.32 लाख पर्यटक
- इसमें से-
  (i) स्वदेशी पर्यटक = 983.24 लाख पर्यटक
  (ii) विदेशी पर्यटक = 3.08 लाख पर्यटक

राजस्थान फिल्म पर्यटक प्रोत्साहन नीति- 2022

- लागू:- 18 अप्रैल, 2022
- उद्देश्य:- फिल्म डेस्टिनेशन/ शूटिंग को बढ़ावा देने हेतु
- कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ रु. या 15% अनुदान

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022

- 30 नवम्बर, 2022 को लागू
- **उद्देश्य:**- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु।
- 25 लाख रु. तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत देय।
- न्यूनतम 1 करोड़ रु. का निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण।
- **मत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:**- राज्य बजट वर्ष 2022-23 में पर्यटन विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रु. किया है। इसमें से 600 करोड़ रु. पर्यटन तथा 400 करोड़ मार्केटिंग/ ब्रांडिंग में।

- जयपुर में 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत तत्वावधान में पर्यटन क्षेत्र में 13,588 करोड़ रु. के 372 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए।
- राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन- जयपुर
- बजट 2022-23 में
  (i) वागड पर्यटक सर्किट- डूँगरपुर व बाँसवाड़ा में (ii) रामगढ़ क्रेटर [बाराँ]- जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृत (iii) चूरू के किले का जीर्णोद्धार

वर्ष 2022 में प्राप्त महत्वपूर्ण पर्यटन अवॉर्ड

- कुम्भलगढ़/ चित्तौड़गढ़ किलों में हैरिटेज इन इण्डिया सिल्वर अवॉर्ड
- इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, बैगलुरू में 31 जुलाई, 2022 को **'कल्चरल डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर'** अवॉर्ड।

सूचना प्रौद्योगिकी व संरचना अवसंरचना

- **i-start राजस्थान**- राज्य में नवाचार, निवेश सुविधा को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख कार्यक्रम है।
- सार्वजनिक व निजी स्टार्टअप को बढ़ावा, वित्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
- **राजस्थान सम्पर्क पोर्टल**- नागरिकों के लिए केन्द्रीय शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म हैं।
- मुख्यमंत्री हेल्पाइन टोल फ्री नम्बर की शुरुआत- 181
- राजकाज- वेब पोर्टल है, कार्यालयों व सेवा वितरण की उपलब्धता बढावे के लिए।
- सभी सरकारी कर्मचारी राजकाज एप का प्रयोग कर रहे है।
- राजीव गाँधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (R-CAT) 2022 में शुरू
- स्नातक/स्नोतकोत्तर विद्यार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, बिगडेटा, ब्लॉकचेन, तकनीकी पर प्रशिक्षण हेतु।

अध्याय:- 7. जनसंख्या

- भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी. [देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41%]
- 7 संभाग, 33 जिले
- 2022 में अनुमानित जनसंख्या- 8.01 करोड़
  [देश का **7वाँ** बड़ा राज्य क्षेत्र]
- कच्च की खाड़ी से 225 किमी., अरब सागर से 400 किमी. दूरी।
- राज्य में 4 स्मार्ट सिटी- जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर हैं।
- **भौतिक रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है-**
  (1) पश्चिमी राजस्थान (2) अरावली
  (3) पूर्वी मैदान (4) दक्षिण-पूर्वी पठार

- प्रमुख संकेतकों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर से तुलना

क्र.	सूचक	भारत	राजस्थान
1.	क्षेत्रफल [2011] लाख वर्ग किमी. में	32.87	3.42
2.	जनसंख्या [2011] करोड़ में	121.09	6.85
3.	दशकीय वृद्धि दर [2001-11]	17.7%	21.3%
4.	जनसंख्या घनत्व [2011]	382	200
5.	शहरी जनसंख्या (%) [2011]	31.2%	24.9%
6.	SC जनसंख्या [2011]	16.6%	17.8%
7.	ST जनसंख्या [2011]	8.6%	13.5%
8.	लिंगानुपात [2011]	943	928
9.	बाल लिंगानुपात [0-6 वर्ष]	919	888
10.	साक्षरता दर [2011]	73.0%	66.1%
11.	साक्षरता दर (पुरूष) [2011]	80.9%	79.2%
12.	साक्षरता दर (महिला) [2011]	64.6%	52.1%
13.	शिशु मृत्यु दर (IMR) [2019]	28	32
14.	मातृ मृत्यु दर (IMR) [2019]	97	113
15.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	70	69.4
16.	कार्य सहभागिता दर [2011]	39.8	43.6

अध्याय:- 10. राज्य वित्त विकास

राजस्व घाटा

- राजस्थान का राजस्व घाटा 25,870 करोड़ रु. रहा। केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के स्थान पर राशि 7,268 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत करने के घटक को समायोजित करने के पश्चात 18,602 करोड़ रु. रहा, जो वर्ष 2020-21 के राजस्व घाटे से कम हैं।

राजकोषीय घाटा

- वर्ष 2021-22 में वास्तविक राजकोषीय घाटा 48,238 करोड़ रु. रहा, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का **3.96%** है।
- संशोधित अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 5.18 प्रतिशत अनुमानित किया गया था।

राजस्व प्राप्तियाँ

- वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 36.94% की वृद्धि हुई।
- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में **24.09%** की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2021-22 में राज्य को हुई राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा स्वयं के कर राजस्व का रहा। उसके बाद क्रमश: केन्द्रीय करों में हिस्सा, केन्द्रीय सहायता तथा कर भिन्न राजस्व का रहा।

क्र.	मद	2020-21	2021-22
1.	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**134308**	**183920**
	(i) स्वयं का कर राजस्व	60283	74808
	(ii) कर भिन्न राजस्व	13653	18755
	(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	35576	54031
	(iv) केन्द्रीय सहायता	24796	36326
2.	**गैर-साख पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**388**	**2405**
3.	**कुल प्राप्तियाँ**	**134696**	**186325**
4.	कुल व्यय	194071	234563
	(i) राजस्व व्यय	178310	209790
	(ii) पूँजीगत परिव्यय	15270	24152
5.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011-12	1019442	1218193
6.	राजस्व घाटा	44002	25870
7.	राजकोषीय घाटा	59375	48238
8.	प्राथमिक घाटा	34173	20138
9.	राजकोषीय घाटे का प्रति.	5.82%	3.96%

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में हुई वृद्धि

क्र.	मद	वृद्धि [% में]
1.	माल एवं सेवा कर	32.51%
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन	22.55%
3.	विद्युत शुल्क	21.65%
4.	राज्य आबकारी	19.83%
5.	ब्रिकी कर	17.89%
6.	वाहन कर	8.95%

राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

- राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2020-21 में **69.21%** की तुलना में वर्ष 2021-22 में 78.41% रहा तथा शेष राशि पूँजीगत प्राप्तियों एवं ऋण से पूरित की गई है।
- वर्ष 2020-21 में योजनाओं पर व्यय **1,38,261 करोड़ रु.** रहा, जो गत वर्ष की तुलना में **35.85%** अधिक है।
- वर्ष 2021-22 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय कुल व्यय [पेंशन भुगतान व ब्याज को छोड़कर] का **36.08%** रहा, जो गत वर्ष की तुलना में **10.65%** की वृद्धि को दर्शाता हैं।
- वर्ष 2020-21 में विकासात्मक व्यय [सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर] समग्र व्यय का 71.9% रहा।

पूँजीगत परिव्यय

- वर्ष 2021-22 में पूँजीगत परिव्यय 24,152 करोड़ रु. का रहा जो गत वर्ष की तुलना में 58.17 अधिक है।

राजकोषीय देनदारियाँ [ऋण एवं अन्य दायित्व]

- 31 मार्च, 2022 तक राज्य कुल देनदारियाँ 4,62,845 करोड़ रु. हो गई, जो 2020-21 की तुलना में 12.75% की वृद्धि को दर्शाती हैं।
- राजकोषीय देनदारियाँ अतिरिक्त ऋण [जीएसटी] क्षतिपूर्ति तथा पूँजीगत व्यय हेतु) को कम करने के पश्चात 4,49,279 करोड़ रु. की रहीं जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 36.88% है।

राजकोषीय समेकन

- वर्ष 2021-22 में राजकोषीय देनदारियों का रास्व प्राप्तियों से अनुपात **251.66 प्रतिशत** रहा।

अध्याय:-11. सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास

- यह विकास की वह अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
- ब्रंटलैण्ड आयोग की रिपोर्ट 1987 में आधिकारिक रूप से सतत विकास को परिभाषित किया गया था।
- 25-27 सितम्बर, 2015 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में **'ट्राँसफार्मिंग अवर वर्ल्ड : द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट'** शीर्षक वाले दस्तावेज को अपनाया।
- 17 सतत विकास लक्ष्य [2016-2030 की अवधि में प्राप्त करना है।]
  - 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी
  - बैठक में 193 देशों ने भाग लिया।
  - 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है- **'कोई भी पीछे ना रहे'**
  - लक्ष्यों के मापन हेतु **248 वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क** है।
  - SDG कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
  - सितम्बर, 2019 में आयोजित SDG शिखर सम्मेलन में शेष रहे 10 वर्षों को कार्रवाई दशक के रूप में घोषित किया गया है।
  - इसके लिए 3 स्तर पर कार्य करने की अपील की गई है- 1. वैश्विक कारवाई, 2. आमजन कारवाई, 3. स्थानीय कारवाई
  - एजेण्डा 2023 के केन्द्र में महत्वपूर्ण आयाम- शाँति, लोग, समृद्धि, भागीदारी, गृह

सतत विकास लक्ष्यों की सूची	
लक्ष्य -1	गरीबी की पूर्णत: समाप्ति
लक्ष्य -2	भुखमरी की समाप्ति
लक्ष्य -3	अच्छा स्वास्थ्य और जीवनस्तर
लक्ष्य -4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
लक्ष्य -5	लैंगिक समानता
लक्ष्य -6	साफ पानी और स्वच्छता
लक्ष्य -7	सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
लक्ष्य -8	अच्छा काम और आर्थिक विकास
लक्ष्य -9	उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास
लक्ष्य -10	असमानता में कमी
लक्ष्य -11	टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास
लक्ष्य -12	जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन
लक्ष्य -13	जलवायु परिवर्तन
लक्ष्य -14	पानी में जीवन
लक्ष्य -15	भूमि पर जीवन
लक्ष्य -16	शांति और न्याय के लिए संस्थान
लक्ष्य -17	लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी

राजस्थान SDG इंडेक्स 2022 [3.0]

- इसे मार्च, 2022 में जारी किया गया।
- इसकी गणना 14 गोल्स के 75 संकेतकों पर की गई है। डाटा की उपलब्धता न होने के कारण गोल 13, 14 एवं 17 को गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- इस इंडेक्स में राजस्थान के 33 जिलों में जयपुर 64.88 स्कोर के साथ प्रथम तथा नागौर 63.97 स्कोर के साथ द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि बाराँ 46.99 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा।
- केवल एक जिला बाराँ 50 से कम समग्र एस.डी.जी. स्कोर के साथ **'एस्पिरेंट' श्रेणी** में रहा है, जबकि शेष सभी जिले 50 से अधिक या बराबर परन्तु 65 से कम स्कोर के साथ **'परफॉर्मर'** श्रेणी में रहे हैं।
- **सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 जिले**- 1. जयपुर, 2. नागौर, 3. झुंझुनूं, 4. सीकर, 5. कोटा
- **सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 जिले**- 1. बाराँ, 2. जैसलमेर, 3. बाड़मेर, 4. प्रतापगढ़, 5. सिरोही
- इस इंडेक्स में **राजस्थान का समग्र स्कोर 57.58** रहा।

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल/खिलाड़ी, पुरस्कार,
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं आर्थिकी
भारत एवं विश्व
Fixed Price
₹ 80/-
वार्षिकांक 2023-24
बाजार में सभी बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध है

राजस्थान बजट -2023-24

- 2023-24 के बजट अनुमानों में **2 लाख 33 हज़ार 988 करोड़ 1 लाख रुपए** की राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है।
- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 58 हज़ार 883 करोड़ 68 लाख रुपए की राजस्व व्यय अनुमानित है।
- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24 हज़ार 895 करोड़ 67 लाख रुपए अनुमानित है।
- वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62 हज़ार 771 करोड़ 92 लाख जो GSDP का 98 प्रतिशत अनुमानित है।
- लगभग **एक करोड़ NFSA** परिवारों को नि:शुल्क राशन के साथ **प्रतिमाह 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा' Food Packet,** 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- इस पैकेट में एक-एक किलो दाल, चीनी एवं नमक, एक लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराये जायेंगे।
- **BPL** तथा **PM Ujjwala Yojana** में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग **76 लाख परिवारों** को एलपीजी गैस सिलेण्डर **500 रुपये** में उपलब्ध, एक हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- **'मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना'** में **100 यूनिट प्रतिमाह** तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा की गई है।
- slab अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह तक की छूट मिलती रहेगी, लगभग **7 हजार करोड़ रुपये** का भार आयेगा।
- **डीजल-पेट्रोल** पर लागू वैट को कम कर, लगभग 7 हजार 500 करोड़ रु. की छूट को आगे भी जारी रखा जायेगा।
- नवीन **युवा नीति,** 500 करोड़ रुपये का **'युवा विकास एवं कल्याण कोष**
- राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं में **'One Time Registration'** प्रणाली के माध्यम से एकबारीय **Registration Fees,**
- **'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'** के अन्तर्गत **15 हजार युवाओं** को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए **30 हजार विद्यार्थियों** को लाभान्वित किया जाएगा।
- समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर **'सावित्री बाई फूले वाचनालय'** मय Digital Library स्थापित की जायेगी।
- 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु **'मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना'** में 10 एवं 15 प्रतिशत Margin Money होंगे, 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- अल्प आयु वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा- हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला, कारीगर एवं घुमन्तू आदि को स्वरोजगार के लिए **'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना'** एक लाख युवा लाभान्वित होंगे।
- **27 नये राजकीय महाविद्यालय एवं 20 नये कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे।**
- जयपुर में **Faculty Development Academy** स्थापित की जायेगी।
- **12 नवीन आईटीआई,** प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक आईटीआई को **'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस'** बनाया जायेगा।
- **'कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं** में बालिकाओं को उपलब्ध करायी जा रही स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर **30 हजार स्कूटी** कर दिया।
- कॉलेज छात्राओं के अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु **'ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम'** लागू की जायेगी।
- 10वीं कक्षा के 10 हजार विद्यार्थियों हेतु **Rajasthan Talent Search Exam (RTSE) Scholarship**
- राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को **नि:शुल्क School Uniform,** लगभग 560 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में **कम्प्यूटर विज्ञान** को **ऐच्छिक** विषय के रूप में लिए जाने का विकल्प दिया जायेगा।
- प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय- कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में **एक-एक हजार महात्मा गाँधी English Medium स्कूल** खोले जायेंगे।
- जिन विद्यालयों के 200 ये ज्यादा विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वहाँ English Medium wing प्रारम्भ होगी।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **राजीव गाँधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों** का आयोजन किया जायेगा।
- प्रदेश में बच्चों व युवाओं की खेल गतिविधियों में रुचि के लिए प्रत्येक संभाग में **सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल** खोले जायेंगे।
- मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए **25 लाख रु.** की राशि एमएलए फण्ड/ CSR से दिए जाने पर **25 लाख रु.** की Matching grant राज्य सरकार द्वारा दिए जाने को बढ़ाकर **एक करोड़ रु** कर दिया।
- **कोलिडा-सीकर** व **बाँसवाड़ा** में **फुटबॉल, बीकानेर में साइक्लिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़-चूरू** में **एथलेटिक्स** तथा **बाड़मेर** व **सीकर** में **बास्केटबॉल** अकादमी शुरू की जायेगी।
- **अजमेर, बीकानेर, भरतपुर** व **जोधपुर** में भी **सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक** का निर्माण करवाया जायेगा।
- **धौलपुर, जालोर** व **नागौर** में **Multipurpose Indoor Halls** बनाये जायेंगे।
- स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जोधपुर में Swimming Pool बनाया जायेगा।
- Rajiv Gandhi National Youth Exchange Programme के तहत 10 हजार युवाओं को **Exposure visit**, जिला एवं राज्य स्तरीय **युवा महोत्सव** का आयोजन किया जायेगा।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एनसीसी कैडेट्स व स्काउट्स एण्ड गाइड्स को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना'** में प्रति परिवार बीमा राशि को **10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रु. प्रतिवर्ष** कर दिया।
- इसके साथ नि:शुल्क लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाते हुए सभी **EWS परिवारों** को भी **चिरंजीवी योजना** में शामिल किया गया।
- **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना'** में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को **5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रु.** किया गया।

- RUHS जयपुर में **'Centre for Post-Covid Rehabilitation'** एवं **'Institute of Respiratory Diseases'** बनाया जायेगा।
- **जयपुर, जोधपुर** एवं **कोटा** में **साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स** प्रारम्भ किये जायेंगे।
- **श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा** एवं **अजमेर** सहित 15 स्थानों पर नशामुक्ति केन्द्र खोलना प्रस्तावित हैं।
- **प्रतापगढ़, जालोर** एवं **राजसमंद** में सरकारी मेडिकल कॉलेज, **एक हजार करोड़ रु.** का व्यय होगा।
- आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में Centre of Excellence for Sickle Cell Disease एवं मातृ विज्ञान संस्थान, कोटा में Neuro Science Centre की स्थापना की जायेगी।
- कोटा एवं अजमेर मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोगियों के लिए Linerar Accederator machines स्थापित की जायेगी।
- जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर एवं के.एन. चेस्ट चिकित्सालय जोधपुर में Cosis wing की स्थापना की जायेगी।
- निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोला जायेगा।
- **डीडवाना-नागौर** में जनाना हॉस्पिटल विंग की स्थापना की जायेगी।
- **महुवा-दौसा, भिवाड़ी-अलवर** तथा **अलवर-सीकर** की उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- **पहाड़ी [कामां]-भरतपुर** में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खोला जायेगा।
- महात्मा गाँधी चिकित्सालय, जोधपुर में **Transfusion Medicine** विभाग मातृ एवं शिशु रोग केन्द्र तथा आधुनिक बर्न यूनिट स्थपित की जायेगी।
- चाकसू-जयपुर Centre of Excellence in Panchkarma खोला जायेगा।
- नाथद्वारा-राजसमंद में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय खोला जायेगा।
- **Mahatma Gandhi Minimum Guaranteed Income योजना:**- इस योजना से प्रदेश के सभी परिवारों को **125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी** तथा **वृद्ध/दिव्यांग/ एकल महिला** होने की स्थिति में न्यूनतम **एक हजार रुपये महीने** की पेंशन प्राप्त हो सकेगी।
- **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना'** में Hospitalised श्रमिकों को **7 दिवस तक 200 रु. प्रतिदिन सहायता** दिया जाना प्रस्तावित है।
- **'इंदिरा रसोई योजना'** का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार, संख्या बढ़ाकर **दो हजार, 700 करोड़ रु.** वार्षिक व्यय होगा।
- **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर** में परिसर में यूनानी महाविद्यालय व बालोतरा बाड़मेर में यूनानी चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।
- **भरतपुर** में होम्योपैथिक महाविद्यालय व बालोतरा-बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा अरडावता [चिड़ावा]-झुंझुनूँ में आयुर्वेदिक औषधालय व श्रीमहावीरजी [हिण्डौन]-करौली में आयुष चिकित्सालय खोले जायेंगे।
- दो वर्षों में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी।
- स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त करने की दृष्टि से PESA Implementation and monitoring Task Force का गठन किया जायेगा।
- जोधपुर में **महात्मा गाँधी दिव्यांग विश्वविद्यालय** तथा **कोटा, भरतपुर** एवं **उदयपुर** में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जायेंगे।
- **जयपुर स्थित बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय** के अंतर्गत Centre of Excellence for Assistive Technology की स्थापना की जायेगी।
- **दिव्यांगों** हेतु संचालित Aided Educational Institutions में ब्रेल पुस्तकें (Braille Book) तथा Play Elements उपलब्ध कराये जायेंगे।
- **10 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, 14 अल्पसंख्यक छात्रावास** का निर्माण किया जायेगा।
- **8 हजार आँगनबाड़ी** एवं **2 हजार मिनी आँगनबाड़ी** के नवीन केन्द्र 320 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- **कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूल** के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष उपलब्ध करायेंगे। साथ ही आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख से अधिक आँगनबाड़ी बच्चों के लिए 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- **प्रवासी राजस्थानियों के International Rajasthani Conclave (IRC)** का आयोजन।
- **राज्य में** आयात-निर्यात की सुविधा एवं व्यापार संवर्धन हेतु राजसिको के माध्यम से उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर व पचपदरा-बाड़मेर में Inland Container Depots की स्थापना की जायेगी।
- **ब्लू पॉटरी** के लिए **जयपुर में Centre of Excellence, अलवर** एवं **पुष्कर-अजमेर** में **'ग्रामीण हाट'** की स्थापना की जायेगी।
- **खादी कामगार, आर्थिक प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत कत्तिनों एवं बुनकरों की देय प्रोत्साहन राशि को दुगुना किया जायेगा।
- प्रत्येक नगरपालिका में 20 किलोमीटर, नगर परिषद् में 35 किलोमीटर तथा नगर निगम में 50 किलोमीटर की मुख्य सड़कों का मेजर रिपेयर कार्य, लगभग **एक हजार 750 करोड़ रु.** खर्च होंगे।
- प्रत्येक के **एक हजार किलोमीटर लम्बाई** के राजमार्गों को 2 लेन, लगभग **एक हजार 250 करोड़ रु.** का व्यय होगा।
- रोडवेज (RSRTC) के बेड़े में **एक हजार नई बसें** Service Model पर शामिल किया जायेगा।
- 250 Fast Electric Vehicle चार्जिंग स्टेशन लगाये जायेंगे।
- लोहावट- जोधपुर में केन्द्रीय बस स्टेण्ड तथा अरांई [किशनगढ़] अजमेर व धूम चक्कर चौराहा-बीकानेर में रोडवेज बस स्टेण्ड बनाये जायेंगे।
- सार्दुलशहर-श्रीगंगानगर में बस डिपो खोला जायेगा।
- जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित **'3D City'** परियोजना
- जल जीवन मिशन में **11 हजार 255 करोड़ रु.** लागत की 3 वृहद् पेयजल योजनायें-
  - (i) चम्बल नदी आधारित कालीतीर परियोजना- बाडी, बसेडी-धौलपुर, बयाना- भरतपुर
  - (ii) चम्बल-अलवर,भरतपुर, पेयजल परियोजना
  - (iii) अलवर, भरतपुर, पेयजल परियोजना- चम्बल सवाई माधोपुर, नादौती परियोजना- सवाई माधोपुर, करौली

- राजस्थान को 'हरित प्रदेश' बनाने के लिए **'Rajasthan Greening and Rewilding Mission'** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका।
- **जमवारामगढ़-जयपुर** में **Integrated Resource Recovery Park** स्थापित की जायेगी।
- माउण्ट आबू-सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर को **गोल्फ कोर्स** विकसित किये जायेंगे।
- जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व अजमेर शहर **Conferences Destination Weddings** आयोजनों में अग्रणी पसंद है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के exnibitions के लिए MICE (Meetings, Incetives, Conference and Exhibition) Centre स्थापित किये जायेंगे।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, लेखकों एवं साहित्य प्रेमियों के लिए Rajasthan Literature Festival का आयोजन होगा।
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के **जयपुर कला समागम का** आयोजन होगा।
- 100 करोड़ रु. राशि का **लोक कलाकार कल्याण कोष** व **मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना** के फोटोग्राफ, कला कर्मियों, शिल्पी कलाकारों, बाल कलाकारों के लिए -
  (i) लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर
  (ii) लोक कलाकारों को 5 हजार रुपये राशि के उनकी कला से संबंधित यंत्र-उपकरण क्रय करने हेतु एक बारीय सहायता।
- **Real Time Auto Service Delivery System- SWATAH** (स्वत:) लागू की जायेगी।
- जयपुर में **Rajiv Gandhi Centre for IT Development and e-Governance** स्थापित किया जायेगा।
- विभागों/PSUs/ बोर्ड/ निगम कार्यालयों में Process re-engineering करते हुए फाइल्स पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मेसेजिंग डाटा एनालिटिक्स, ओटोमेशन Artificial Intelligence आदि नवीनतम तकनीक आधारित **RajKaj 2.0** विकसित किया जायेगा।
- Data के storage हेतु **Centralised Data Lake** बनाया जायेगा।
- अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर RCAT केन्द्र खोले जायेंगे।
- रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, भीनमाल, जालोर, सीकर [सिटी] एवं मालपुरा-टोंक में **4 अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, 3 उपखण्ड कार्यालय- रींगस-सीकर, माधोराजपुरा [चाकसू] जयपुर एवं टपूकड़ा [तिजारा] अलवर** में।
- अलीगढ़-टोंक में नवीन तहसील कार्यालय खोला जायेगा।
- 11 उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 16 नवीन उप तहसीलें खोली जायेगी।
- 17 नवीन नगरपालिकायें तथा **नावां-नागौर** व **शाहपुरा-जयपुर** की नगरपालिका को उच्चतर श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- **खेतड़ी-झुंझुनूँ** में **सहायक खनिज अभियंता** कार्यालय खोला जायेगा।
- बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को OPS का लाभ देय है।
- सभी सरकारी संस्थाओं यथा- विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण निगम, रीको, RTDC, RSMML विश्वविद्यालय अकादमियों आदि में भी OPS लागू होगी।
- कार्मिकों को पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा (Qualifying Service) की अवधि घटाकर 25 वर्ष करना प्रस्तावित है।
- कर्मचारियों को increment के लिए 1 जनवरी एवं 1 जुलाई का विकल्प।
- Placement Agencies के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों को शोषण मुक्त करने हेतु ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए **Rajasthan Logistical Services Delivery Corporaation (RLSDC) का गठन**
- Part time कार्यरत मानदेय कर्मियाँ। यथा- आँगनबाड़ी, कार्यकर्त्ता, सहायका, कुक, फरार्श। आदि को उचित संरक्षण देते हुए Rajasthan part Time Contractual Hiring Rules बनाये जायेंगे।
- **नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं** के जनप्रतिनिधियों के मानदेय/भत्तों में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित हैं।
- जयपुर में JNV Media Centre and Hub, समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को Laptops/Tablets उपलब्ध कराये।

कृषि बजट-2023-24

- कृषि एवं किसानों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिकम व्यापक एवं प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार 500 करोड़ रु. कर दी गई। साथ ही प्रदेश की उत्पादक वृद्धि के Change Agent बनने का अवसर देने की दृष्टि से 12वें मिशन के रूप में **'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन'** प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।
  (i) 2 वर्षों में फार्म पौण्ड के निर्माण के लिए 30 हजार के लक्ष्य को बढ़ाकर 50 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित हैं।
  (ii) SC/ST के गैर लघु-सीमांत कृषकों को भी लघु सीमांत कृषकों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
  (iii) 50 हजार कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5 हजार रुपये Input Subsidy दी जायेगी।
  (iv) जयपुर व जोधपुर में 100 करोड़ रु. की लागत से Organic Products mart स्थापित किये जायेंगे।
  (v) 23 लाख लघु/सीमान्त कृषकों को बीज के मिनीकट नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके अन्तर्गत-
    (a) 11 लाख कृषकों को संकर मक्का के
    (b) 7 लाख कृषकों को सरसों के
    (c) 3 लाख कृषकों को मूंग तथा 1-1 लाख कृषकों को मोठ तथा तिल बीज के मिनीकट उपलब्ध करवाये जायेंगे।
  (ii) प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास (बहुवर्षीय चारा फसल) के Exhibition लगाये जायेंगे।
  (i) 8 लाख लघु व सीमान्त कृषकों को **संकर बाजरा बीज मिनिकिट्स** का वितरण किया जायेगा।
  (i) 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट/हाउस/ लो टनल/ प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

(ii) सिरोही में **अंजीर** का Centre of Excellence स्थापित किया जायेगा। साथ ही **सवाई माधोपुर** में अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा।

(i) आगामी वर्ष एक लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान दिया जायेगा।

(ii) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों के जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर की जायेगी।

(i) 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने पर 5 हजार रु. प्रति परिवार अनुदान दिया जायेगा।

(ii) एक लाख कृषि श्रमिकों को Skill and Capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(iii) कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को एक हजार ड्रोन हेतु 4-4 लाख रुपये का अनुदान किया जायेगा।

(ii) मधुमक्खी पालन हेतु भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों में 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही टोंक में Centre of Excellence for Apiculture स्थापित किया जायेगा।

(iii) जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, धौलपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, सिरोही, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में मिनी फूड पार्क व रोहड़ा-दौसा में फूड पार्क तथा बीकानेर में एग्रो पार्क स्थापित किये जायेंगे।

(ii) एक हजार कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत **कृषक मित्र** के रूप में नियुक्त करते हुए Mobile Agri Clinics की स्थापना की जायेगी।

(iii) जोबनेर-जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीनतम पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा। साथ ही सीकर व बस्सी-जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जायेंगे।

(iv) नोखा-बीकानेर एवं नवलगढ़-झुंझुनूं सहायक निदेशक, कृषि विस्तार कार्यालय खोले जायेंगे।

(v) कृषि महाविद्यालयों में पशुपालन से संबंधित वैकल्पिक विषय लिए जाने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

(vi) **माचाड़ी (रैणी)**- अलवर, रावतभाटा (बेगूं)-चित्तौड़गढ़, तारानगर-चूरू, दौसा, धौलपुर, मौजमाबाद (दूदू)-जयपुर व हिण्डौन-करौली में कृषि महाविद्यालय, जोबनेर-जयपुर के अन्तर्गत दुर्गापुरा-जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

- **2 हजार यूनिट प्रतिमाह** तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को **निःशुल्क बिजली** उपलब्ध की जायेगी।
- 1,035 नये पटवार मण्डलों का सृजन।
- **7 हजार 282 पैक्स** (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) तथा समस्त **17 हजार 500 से अधिक** दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का दो वर्षों में computerization.
- पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व कार्मिकों को **टेबलेट**
- लम्पी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर **प्रति गाय 40 हजार रु.** की आर्थिक सहायता।
- **पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना** के अन्तर्गत पशुओं का **निःशुल्क टीकाकरण**।
- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत MSMEs छूट का दायरा और वृहद् करते हुये 27 अगस्त, 2021 तक बैंक से स्वीकृत ऋण, जिनकी सूचना जिला उद्योग केन्द्रों में 31 मार्च, 2022 तक भी प्राप्त हो गयी हो, उन MSMEs पर भी लागू।
- प्रदेश में Commercial flights के विस्तार के लिये Aviation Turbine Fuel (ATF) पर VAT की दर को घटाकर **2 प्रतिशत** किया।
- **'Gem Bourse'** के निर्माण के लिये सीतापुरा Industrial Area में लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि का रिजर्व प्राइस की 3 गुणा राशि पर आवंटन।
- **GST Act** में Refund के लिये निर्धारित 60 दिवस की समय सीमा को राज्य में घटाकर कर तीन सप्ताह (21 दिवस) किया।
- **White** कैटेगरी के अन्तर्गत सम्मिलित उद्योगों की संख्या को बढ़ाकर 54 से 100 करने का प्रस्ताव।
- 30 मार्च, 2023 को भाजपा से राज्यसभ सांसद **घनश्याम तिवाड़ी** लोक सेवा समिति [पीएसी] के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उनके अलावा 6 अन्य सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। दरअसल 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक के लिए पीएसी के 7 सदस्यों का निर्वाचन होना था।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपरलीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ राज्य सरकार एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स [एंटी चिटिंग] गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।